न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 647–एक/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–2–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 132/2010–11/निगरानी.

1– प्रमीला बाई पति अरूण राव कदम
2– संजय पिता अरूण राव कदम
निवासीगण गांछावाडी, धार
जिला धार
3– दिवाकर पिता पन्ना लाल चौहान
4– ओमप्रकाश पिता पन्ना लाल चौहान
5– अजय पिता पन्ना लाल चौहान
6– उषा बाई पति दिवाकर चौहान
7– उमा बाई पति ओमप्रकाश चौहान
क. 3 से 7 निवासीगण बडीगवलीवाडा, धार
जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– पुरूषोत्तम पिता माणकराव हिरवले
निवासी बनियावाडी, धार
2– दौलत पिता अमर सिंह राजपूत
3– कैलाश पिता लक्ष्मण सिंह ठाकुर
क. 2 एवं 3 निवासीगण गणपति मार्ग
हनुमान मंदिर के सामने धार
तहसील व जिला धार .....अनावेदकगण

श्री संतोष परमार, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री किशोर सिंह, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/5/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार, धार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम हिम्मतगढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 306, सर्वे कमांक 307 एवं सर्वे कमांक 309 रकबा 6.272 हेक्टेयर उसके स्वामित्व की भूमि है । उक्त भूमि पर जाने हेतु सर्वे कमांक 203 एवं सर्वे कमांक 277 के बीच से आने–जाने का रास्ता 15 फिट का पीढ़ी–दर–पीढ़ी चला आ रहा है । उक्त रास्ते को आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–13/2009–10 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा आवेदक कमांक 6 एवं 7 की उपस्थिति में पुनः स्थल निरीक्षण करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 19–7–2010 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर, इन्दौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 10–12–2010 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–2–2011 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ इस प्रकरण में केवल यही बिन्दु विचारणीय है कि क्या नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक कमांक 6 एवं 7 की उपस्थिति में पुनः स्थल निरीक्षण करने संबंधी आवेदन पत्र

निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है अथवा नहीं ? इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार उठाया गया हैं कि स्थल निरीक्षण उभय पक्ष की उपस्थिति में किया जाना चाहिए, परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की अनुपस्थिति में स्थल निरीक्षण करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी आधार लिया गया है कि चूंकि आवेदक कमांक 6 एवं 7 को बाद में पक्षकार बनाया गया है, ऐसी स्थिति में उनकी उपस्थिति में पुनः स्थल निरीक्षण किया जाना चाहिए था । इस संबंध में आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में नायब तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह आधार भी लिया गया है कि अनावेदकगण सर्वे कमांक 194 अंबाराम के खेत व सर्वे कमांक 311/1 एवं 311/2 के मध्य मेड़ से ही अपनी कृषि भूमि में आते–जाते हैं । उक्त रास्ता नक्शे में होकर पारम्परिक रास्ता है । लिखित तर्क में यह आधार भी लिया गया है कि अनावेदकगण के लिए रूढ़िगत रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी वे नये रास्ते की मांग कर रहे हैं, जो नहीं दिया जा सकता है । अंत में यह आधार लिया गया है कि उपरोक्त स्थिति पर अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है, इसलिए तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर पुनः उभय पक्ष की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किये जाने के आदेश दिये जायें ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका कमांक 7 के पति स्थल निरीक्षण में उपस्थित थे, अतः पुनः सीमांकन किये जाने का औचित्य नहीं होने से नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 व 3 के सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण की ओर से इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका कमांक 6 व 7 के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि का पुनः स्थल निरीक्षण किया जाये । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है कि एक बार स्थल निरीक्षण आवेदिका कमांक 6 व 7 के पति एवं ग्रामवासियों के समक्ष किया जा चुका है, अतः दुबारा स्थल निरीक्षण किये जाने का औचित्य नहीं है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त अभी तहसीलदार को संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण करना है, जहॉ पर आवेदकगण को पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । उपरोक्त स्थिति से स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि आवेदकगण की ओर से इस न्यायालय में यह तीसरी निगरानी तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से की गई है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से उसकी पुष्टि करने में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई । दर्शित परिस्थितियों अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर